भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1435 का उत्तर

माल परिवहन के लिए पटरियां बिछाना

1435. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माल परिवहन के लिए पिछले 5 वर्षों में बिछाई गई पटरियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मालगाड़ियां और यात्री रेलगाड़ियां एक ही पटरी पर चलती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार रेलगाड़ी के विलंब से चलने की स्थिति में जनता को प्रतिपूर्ति देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): आमतौर पर भारतीय रेल नेटवर्क में मिश्रित यातायात होता है, अर्थात यात्री और माल यातायात दोनों के लिए। बहरहाल, विशेष रूप से माल यातायात के लिए, रेल मंत्रालय ने दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण शुरू किया है अर्थात् लुधियाना से सोननगर (1337 किलोमीटर) तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से दादरी (1506 किलोमीटर) तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। कुल 2843 किलोमीटर में से, 2741 मार्ग किलोमीटर (96.4%) चालू हो चुके हैं, जिन पर वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल से अक्टूबर) के दौरान 72,617 मालगाड़ियाँ चलाई गईं।

यात्री गाड़ी के स्टेशन से यात्रा शुरू करने के निर्धारित प्रस्थान के तीन घंटे से अधिक विलंब से चलने की स्थिति में और जहां यात्री यात्रा नहीं करना चाहते हैं, वहां कोई रद्दकरण या लिपिक प्रभार नहीं लगाए जाते हैं और यथा लागू रिफंड नियम के अनुसार गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान तक, टिकट अभ्यर्पित करने पर या टिकट डिपाजिट रसीद दाखिल करने पर, जैसा भी मामला हो, पूरा किराया वापस किया जाता है।

****

S.K